कार्यालय प्रबध अनुभाग, वाहय न्यायालय छिबरामऊ, जनपद कन्नौज।

कार्यालय विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय कन्नौज के आदेश संख्या – 192 दिनांकित 13.03.2024 के अनुपालन में वाहय न्यायालय छिबरामऊ, जनपद कन्नौज के न्यायालय परिसर में वित्तीय वर्ष – 2024–2025 हेतु ठेके उठाये जाने है, जिनका विवरण निम्नवत हैः–

1. **ठेका कैन्टीन**
2. **ठेका साइकिल स्टैण्ड**
3. **ठेका स्टाम्प वेन्डर**
4. **ठेका विस्कुट नमकीन**

ठेका हेतु शर्ते–

सभी बोलीदाताओं को निम्नलिखित धनराशि पर निम्नलिखित प्रतिभू के रूप में बोली बोलने से पूर्व जमा करनी होगी, जिसकी बोली स्वीकार होगी उसकी जमानत धनराशि उसी दिन निधारित प्रक्रिया के बाद वापस कर दी जायेगी।

क्रम सं०	ठेका का नाम	जमानत धनराशि
1	**ठेका कैन्टीन**	मु०.–10,000–00/रूपये
2	**ठेका साइकिल स्टैण्ड**	मु०.–10,000–00/रूपये
3	**ठेका स्टाम्प वेन्डर**	मु०.–5,000–00/रूपये
4	**ठेका विस्कुट नमकीन**	मु०.–5,000–00/रूपये

1– बिना जमानत धनराशि जमा कराये कोई भी बोलीदाता बोली का हकदार नहीं होगा।

2– उपरोक्त सभी ठेको को चलाये जाने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाये ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करनी होगी, जिसका ठेके में कोई लाभ नहीं मिलेगा।

3– ठेके की बोली वाहय न्यायालय छिबरामऊ कन्नौज निर्धारित **तिथि 29–03–2024 को सायं 4 बजे बो**ली की जायेगी।

4– अंतिम बोलीदाता वित्तीय वर्ष 2024–2025 के ठेके का हकदार होगा।

5– ठेका प्रारम्भ होने की तिथि से पहले नीलामी की कुल धनराशि का 50 प्रति शत धनराशि जमा करनी होगी, कुल बकाया धनराशि दो किश्तो में क्रमशः प्रथम किस्त जून 2024 व द्वितीय किस्त सितंबर –2024 तक देय होगा। अवशेष धनराशि का समय से भुगतान न किये जाने पर ठेकेदार को डिफाल्टर माना जायेगा तथा अगले वर्ष नीलामी की प्रक्रिया में भाग् लेने से वंचित किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अवशेष धनराशि को नियम समय से जमा न करने की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा ठेका निरस्त किये जाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

6– माननीय जनपद न्यायाधीश, कन्नौज के अनुमोदन के उपरान्त ठेके की बोली अंतिम मानी जायेगी।

7– माननीय जनपद न्यायाधीश, कन्नौज को किसी समय किसी भी ठेके को बिना कारण, बिना नोटिस दिये निरस्त किये जाने का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

8– किसी भी आवांछनीय व्यक्ति को ठेके में बोली बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रत्येक बोलीदाता को ठेका में बोली बोलने से पूर्व अपने चरित्र से संबंधित दो सभ्रान्त व्यक्तियो से चरित्र प्रमाण पत्र तथा स्वयं का एक नोटरीपत्र इस आशय का प्रस्तुत करना है कि वह किसी फौजदारी मुकदमे में न तो वांछित हो और न ही सजायाफता हो।

उपरोक्त ठेको की बोली हेतु निर्धारित **तिथि 29–03–2024 को सायं 4** बजे खुली बोली की जायेगी।

दिनांक 22.03.2024

(सलोनी रस्तोगी)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छिबरामऊ, कन्नौज।

सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इस विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नानुसार प्रेषित की जायेगी–

1. जिला सूचना अधिकारी कन्नौज को इस आशय के साथ कि इसका विज्ञापन किसी स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क कराकर एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित।
2. केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय कन्नौज के सूचना पट पर चस्पा हेतु।
3. नगर पालिका परिषद छिबरामऊ, के सूचना पट पर चस्पा हेतु।
4. रोडबेज बस स्टैण्ड छिबरामऊ, के सूचना पट पर चस्पा हेतु।
5. तहसील छिबरामऊ, के सूचना पट पर चस्पा हेतु।
6. जनपद न्यायालय कन्नौज की बेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. वाहय न्यायालय छिबरामऊ, के सूचना पट पर चस्पा हेतु।
8. जनपद न्यायाधीश महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक 22.03.2024

(सलोनी रस्तोगी)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
प्रभारी अधिकारी नजारत,
वाहय न्यायालय छिबरामऊ, कन्नौज।